

वशिषाधिकार उल्लंघन नोटिस

स्रोत: द हट्टि

मुख्य वपिक्षी दल ने पूरव [उपराषट्टरपतति](#) और [राज्यसभा](#) के सभापतति के खलिफ "अपमानजनक" टपिपणी करने के लयि [पूरधानमंतूरी](#) के खलिफ [वशिषाधिकार हनन](#) का नोटसि पूरसतुत कयि।

वशिषाधिकार का उल्लंघन क्या है?

■ परचिय:

- जब कोई वयक्तयिा अधिकारी कसिी सदस्य के वशिषाधिकार, **अधिकार और उनमुक्तति** का उल्लंघन करता है, चाहे वह **वयक्तगित** रूप से हो या **सदन की सामूहकि कषमता** में, तो उस अपराध को वशिषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा **सदन द्वारा दंडनीय** होता है।
- इसके अतरिकित, **सदन के पूराधिकार या गरमि का अनादर करने वाली कोई भी काररवाई**, जैसे उसके आदेशों की अनदेखी करना या उसके सदस्यों, समतियिों या अधिकारियिों का अपमान करना, वशिषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।

■ सदन की अवमानना बनाम औचतिय के मुददे:

- **सदन की अवमानना:** इसे सामान्यतः ऐसे कसिी भी कार्य के रूप में परभाषति कयिा जाता है जो संसद के कसिी भी सदस्य या सदन को उसके करततव्य और कार्यों के नरिवहन में बाधा डालता है।
- **औचतिय के बट्टि:** संसद और उसके सदस्यों को वशिषिट पूरथाओं तथा परंपराओं का पालन करना चाहयि एवंइनका **उल्लंघन करना 'अनुचति'** माना जाता है।

■ संसद की दण्ड देने की शकतति:

- संसद का पूरतयेक सदन अपने वशिषाधिकारों का संरकषक है।
- भारत में न्यायालयों ने माना है **कसंसद का सदन (या राज्य वधिानमंडल) कसिी वशिष मामले में सदन के वशिषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं**, इसका नरिणय करने का एकमातूर पूराधिकारी है।
- सदन वशिषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले वयक्तिको फटकार या चेतावनी देकर या नरिदषिट अवधि के लयि कारावास से दंडति कर सकता है।
 - इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को दो अन्य तरीकों से दंडति कर सकता है अरथात् **सेवा से नलिंबन और नषिकासन**।
 - हालाँकि **सदस्य द्वारा बनिा शरत माफी मांगने की स्थतिति में सदन आमतौर पर अपनी गरमि के हति में मामले को आगे बढ़ाने से बचता है**।

■ कारयवधि: वशिषाधिकार के पूरशनों से नपिटने की पूरकरयिा राज्यसभा के [पूरकरयिा एवं कारय संचालन नयिमों के नयिम 187 से 203](#) में नरिधारति की गई है।

- सदन में वशिषाधिकार का पूरशून सभापततिकी सहमति पूरापूत करने के बाद ही उठाया जा सकता है।
- यह पूरशून किक्या **कोई मामला वास्तव में वशिषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना** का है, इसका नरिणय पूरी तरह से सदन को करना है।

■ कसिी अन्य सदन के सदस्य द्वारा वशिषाधिकार का उल्लंघन:

- वशिषाधिकार समतियिों की संयुक्त रपिीरट, 1954 की के अनुसार, जब सदन के कारमकिों से संबंधति वशिषाधिकार हनन का मामला [लोकसभा](#) या राज्यसभा में उठाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी मामले को दूसरे सदन के [पीठासीन अधिकारी](#) को पूरषति कर देता है।
 - सदन इसे अपने वशिषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखता है तथा जाँच एवं की गई काररवाई के बारे में रपिीरट देता है।



संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार सांसदों, विधायकों और उनकी समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 105: संसद सदस्यों के लिये
- अनुच्छेद 194: विधानसभा सदस्यों के लिये

यह कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान दिये गए बयानों या कृत्यों के लिये केवल नागरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

शक्ति के स्रोत

- संवैधानिक प्रावधान
- संसद द्वारा निर्मित विभिन्न कानून
- दोनों सदनों के नियम
- संसदीय अभिसमय
- न्यायिक व्याख्याएँ

सदस्यों के निजी विशेषाधिकार

- संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सांसद/समिति को बयानों या मतदान के संबंध में कानूनी कार्यवाही से छूट
- संसद के किसी भी सद्वन द्वारा रिपोर्ट, दस्तावेज़, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में न्यायायिक कार्यवाही से छूट
- कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण न्यायालय में संसदीय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न करने से रोक
- सदस्यों को सद्वन या समिति की बैठक के दौरान और उसके सत्र से 40 दिन पहले या बाद में नागरिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट

सद्वन का सामूहिक विशेषाधिकार

- सद्वन को किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के बारे में त्वरित रूप से सूचित किये जाने का अधिकार है
- अध्यक्ष/सभापति की अनुमति प्राप्त किये बिना सद्वन के परिसर के अंदर गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की सेवा से प्रतिरक्षा
- सद्वन की गुप्त बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
- रिपोर्ट और कार्यवाही के साथ संसदीय समिति को प्रस्तुत किये गए साक्ष्य आधिकारिक तौर पर सद्वन के पटल पर रखे जाने तक गोपनीय रहने चाहिये
- सद्वन के सदस्यों/अधिकारियों को सद्वन की कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या न्यायालय में गवाही देने के लिये सद्वन की अनुमति की आवश्यकता होती है

महत्वपूर्ण निर्णय

- केरल राज्य बनाम के. अजित मामला (वर्ष 2021)- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया, कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरिक की कार्यवाही को नियंत्रित करता है।
- वर्ष 2024 में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को यह स्पष्ट करते हुए पलट दिया, कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 द्वारा प्रदान किये गए विशेषाधिकार रिश्वत के मामलों तक विस्तारित नहीं हैं।



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सी संसदीय समिति जाँच करती है और सद्वन को रिपोर्ट करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित वनियमों, नयिमों, उप-नयिमों, उप-वधियों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रतनिधिमिंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। (2018)

- (a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
- (b) अधीनस्थ वधिवन संबंधी समिति
- (c) नयिम समिति
- (d) कार्य मंत्रणा समिति

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न: संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कि संविधान की धारा 105 में परकिलपति हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन कोडिफाइड) और अ-परगिणति विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के वधिकि संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/breach-of-privilege-notice>

